

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

गुलाबसिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत
सा. मानजी की ढाणी तह. कुचामन सिटी

बनाम

प्रताप सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. मानजी की ढाणी तह. कुचामन सिटी

किस्म कुमदमां : 212 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 0137/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
17.06.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने इसी अनुवान के वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी मानजी की ढाणी कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र बाबत केवियट अन्तर्गत धारा 148 (ए) सीपीसी पेश किया है। अधिवक्ता केवियटकर्ता सूचित होकर पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
18/7/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपर तालीम शुद्ध तालीम नौसि पत्र नहीं लजजा होकर पत्रावली दि. 18/7/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Om</p>	
18/8/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपर तालीम पुनः पेश करेंगे दि. 21/9/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Om</p>	
21/9/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपर तालीम पेश करेंगे दि. 29/11/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Om</p>	
29/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। बकील बार अध्यक्ष के द्वारा अज्ञात स्थान रखा है। पत्रावली दि. 24/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S</p>	



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

25/1/23

अधिवक्ता प्रार्थी उपरोक्त पूर्व अधिवक्ता की पालना
कलने हेतु विज्ञापन दी गयी मि० दि० 25/1/23
को पेश हो
२४

11/2/23

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश
हुई प्रार्थी अर्थात् अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना-पत्र
में पत्रकारान के भद्र शर्मा राजीनामा हो
गया है इसलिए उक्त पत्रावली को अर्थात्
विज्ञापन खारिज किया जावे।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अर्थात् विज्ञापन
खारिज किया जाता है पत्रावली कुल
शुमार हो नम्बर से कम हो व काबिल
दफ्तार हो
२४

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)


सदस्य

अध्यक्ष
राष्ट्रीय विधि सेवा समिति
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नावां जिला नागौर

राष्ट्रीय लोक अदालत
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नावां जिला नागौर